

पंजीयन क्रमांक 967/09

दिनांक 15-4-09

डिस्पेच नं. 2177

दिनांक 24-4-09

प्रपत्र (फार्म) संख्या - 7

राजस्थान गोशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत (देखिये नियम-6)

पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) प्रमाण-पत्र



कार्यालय पंजीयक (रजिस्ट्रार), गोशालाएं राजस्थान, जयपुर

श्री श्री संत गरीब गुरुजी बाबाजी गौ सेवा समिति

ग्राम पोस्ट बलाया तहसील नागौर

जिला नागौर के सम्बन्ध में।

चूंकि श्री अर्जुन राम, सचिव न्यासी (ट्रस्टी) गोशाला


श्री श्री संत गरीब गुरुजी बाबाजी गौ सेवा समिति ने राजस्थान गोशाला बलाया

अधिनियम, 1960 (अधिनियम संख्या 24 सन् 1960) की धारा 5 के अन्तर्गत उक्त गोशाला के पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) के लिये आवेदन किया है एवं चूंकि आवश्यक जांच पड़ताल कर लेने के पश्चात् मैं सन्तुष्ट हो गया हूँ, कि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत अपेक्षित विवरण सही है, तथा आवेदन-पत्र में दिये गये विवरण सत्य है, अतः मैं उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा 3 के अनुसरण में, एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त गोशाला पंजीयत (रजिस्टर) करली गई है।

आज दिनांक पन्द्रह

माह अप्रैल

वर्ष दोहजार नौ



उपनिदेशक गोशाला, जयपुर
पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवम् उपनिदेशक
गोशाला राजस्थान, जयपुर
15.4.2009